वित्त मंत्रालय

आर्थिक मामलों का विभाग

(कैपिटल मार्केट डिविजन)

राजीव गांधी इक्विटी सेविंग स्कीम के सामान्य प्रश्न

अनुक्रमणिका

I. आरजीईएसएस के उद्देश्य तथा वैधानिक पहलू

१. आरजीईएसएस क्या है?
२. इस योजना के लक्ष्य क्या हैं?
३. आरजीईएसएस के लिए वैधानिक प्रावधान क्या हैं?
४. क्या इक्विटी बाजार में पहली बार निवेश करने वाले अपनी पूंजी नहीं गवायेंगें? क्या उनके लिए यह निवेश नुकसानदेह होगा?
५. हमारे पास पहले से ही एक इक्विटी लिंक्ड बचत योजना (ईएलएसएस) है ? हमें आरजीईएसएस की क्या जरूरत है?
६. अन्य कर बचत योजनाओं की तुलना में आरजीईएसएस के फायदे क्या हैं?

II. योजना का व्याप्ति - आरजीईएसएस के तहत मान्य निवेशक तथा निवेश

७. इस योजना के तहत किनको शामिल किया जायेगा? नया निवेशक किनको माना जायेगा?
८. मैं अनिवासी भारतीय हूं , क्या मैं आरजीईएसएस के तहत निवेश करने का पात्र हूं?
९. मेरे पास पहले से ही म्यूचुअल फंड की यूनिटों तथा /अथवा एक्सचेंज ट्रेडेड फंड की धारिता है, क्या मैं आरजीईएसएस के तहत निवेश करने का पात्र हूं?
१०. मेरे पास कुछ भौतिक शेयरों की धारिता है, क्या मैं आरजीईएसएस के तहत निवेश करने का पात्र हूं?
११. इस योजना के तहत कौन से निवेश विकल्प उपलब्ध हैं? आरजीईएसएस के तहत किन प्रतिभूतियों को मान्यता प्राप्त है?
१२. इन मान्यता प्राप्त प्रतिभूतियों के संदर्भ में हमें कहां से सूचना प्राप्त हो सकती है?
१३. आरजीईएसएस के तहत किया जाने वाला निवेश सिर्फ शीर्ष १००स्टॉकों तक ही सीमित क्यों है?

१४. जब मैंने किसी स्टॉक में निवेश किया था तो वह बीएसई १०० में शामिल था, बाद में उस स्टॉक को एक्सचेंज ने बीएसई १००से बाहर कर दिया, क्या मेरा वह निवेश मेरे द्वारा रिटर्न फाइल किए जाते समय आरजीईएसएस के तहत मान्य होगा ?

१५. मैने मार्च माह में आईपीओ के लिए आवेदन किया था; किंतु कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में अप्रैल माह में यानी अगले वित्त वर्ष में सूचिबद्ध हुई , क्या मेरा निवेश मान्य होगा ?

१६. प्रतिभूति बाजार में मैं अधिकतम कितनी राशि निवेशित कर सकता हूं? क्या मैं यह निवेश किश्तों में कर सकता हूं?

१७. क्या मैं आरजीईएसएस के तहत किये जाने वाले अपने निवेश को दो वित्त वर्षों में विभाजित कर सकता हूं तथा कटौती का दावा कर सकता हूं?

१८. आरजीईएसएस के तहत कितने की कर कटौती प्राप्त होगी ?

१९. मैंने पहले से ही सेक्शन ८० सी के तहत कर लाभ का दावा कर रखा है, क्या मैं आरजीईएसएस के तहत निवेश करने सकता हूं?

III. आरजीईएसएस के उद्देश्य तथा वैधानिक पहलू

२०. क्या मैं ५०,००० रू. से अधिक निवेश कर सकता हूं तथा आरजीईएसएस के तहत कर लाभ का दावा कर सकता हूं?

२१. मैंने कंपनी ''ए '' में ७०,००० रू. के शेयरों की खरीद की है जो आरजीईएसएस के तहत मान्यता प्राप्त प्रतिभूति है; मैं ५०,००० रू. से अधिक के अपने निवेश को कैसे मुक्त कर सकता हूं?

२२. हमें कब फार्म बी जमा करना चाहिए ? क्या इसके लिए कोई समय सीमा निर्धारित है ?

२३. क्या मैं फार्म बी में उल्लिखित मान्य प्रतिभूतियों में किए गये निवेश के लिए कर कटौती का दावा कर सकता हूं ?

IV. योजना में भागीदारी : प्रक्रियात्मक तथा परिचालनात्मक मामले

२४. मैं आरजीईएसएस के तहत पात्रता प्राप्त निवेश कैसे कर सकता हूं?

२५. पात्रता प्राप्त प्रतिभूतियों की होल्डिंग पद्धति क्या होगी ?

२६. क्या मुझे अपने म्यूचुअल फंड /ईटीएफ यूनिटों को डीमैट स्वरूप में भी हासिल करने की जरूरत होगी ?

२७. क्या निवेशक को आरजीईएसएस का लाभ उठाने के लिए इस उद्देश्य से एक पृथक डीमैट एकाउंट खोलना होगा ? क्या मैं अपने आरजीईएसएस के लिए निर्धारित डिमैट एकाउंट में आरजीईएसएस के तहत मान्य प्रतिभूतियों के अलावा अन्य प्रतिभूतियों को रख सकता हूं?

२८. क्या ऑफ मार्केट ट्रेड अथवा डिमटेरियलाइजेशन के माध्यम से मेरे डिमैट एकाउंट में हुए क्रेडिट को आरजीईएसएस के तहत अनुलाभ प्राप्त होगा?

२९. मैं किसी डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के साथ किस तरह से आरजीईएसएस डीमैट एकाउंट खोल सकता हूं?

३०. मैं किस तरह से ट्रेडिंग एकाउंट खोल सकता हूं?

३१. डीमैट/ट्रेडिंग एकाउंट खेलने के लिए किन दस्तावेजों की जरूरत होती है ?

३२. मै पैन छूट श्रेणी से संबंधित (सिक्किम का निवासी) हूं, क्या मैं बिना पैन के आरजीईएसएस एकाउंट खोल सकता हूं?

३३. क्या मैं अपने ट्रेडिंग तथा डिमैट एकाउंट के लिए इंटरनेट एक्सेस की मांग कर सकता हूं ?

३४. क्या मैं अपने किसी वर्तमान डिमैट एकाउंट को आरजीईएसएस के तहत उपयोग हेतु नामित कर सकता हूं ?

३५. फॉर्म ए , फॉर्म बी आदि कहां से प्राप्त किए जा सकते हैं?

३६. क्या आरजीईएसएस के लिए एक से अधिक डीमैट एकाउंट खोल सकता हूं या नामित कर सकता हूं?

३७. क्या आरजीईएसएस के लिए कम लागत वाले डीमैट एकाउंट का प्रावधान है ?

३८. प्रतिभूति बाजार में कारोबार करते समय क्या करें क्या न करें?

३९. प्रतिभूति बाजार में कारोबार से संबंधित अपनी शिकायतों को कैसे दर्ज कराया जा सकता है?

V. लॉक - इन नियमों का अनुपालन तथा आरजीईएसएस के तहत प्रतिभूतियों का मूल्यांकन

४०. कर लाभ प्राप्त करने के लिए आरजीईएसएस के तहत किए गये प्रारंभिक निवेश के मूल्यांकन का आधार क्या होगा?

४१. आरजीईएसएस के तहत किए गये निवेश की धारिता अवधि क्या होगी ?

४२. फिक्स्ड लॉक इन अवधि क्या है ?

४३. लॉक इन अवधि की शुरूआत कब से होती है? खरीद की तिथि से अथवा डिमैट एकांट में प्रतिभूतियों के क्रेडिट होने की तिथि से ?

४४. अगर फिक्स्ड लॉक इन की गणना सिर्फ आरजीईएसएस के तहत प्रतिभूतियां प्राप्त करने की अंतिम तिथि से की जाती है तो क्या यह तीन वर्ष से अधिक के लॉक-इन के रूप में नहीं प्रतिफलित होगा?

४५. क्या मैं फिक्स्ड लॉक इन अवधि के दौरान आरजीईएसएस तहत घोषित प्रतिभूतियों को बेच सकता हूं/गिरवी रख सकता हूं?

४६. फ्लेक्सिबल लॉक इन अवधि क्या है?

४७. क्या मैं फ्लेक्सिबल लॉक इन अवधि के दौरान ट्रेड/बिक्री कर सकता हूं?

४८. फ्लेक्सिबल लॉक इन अवधि के दौरान प्रतिभूतियों का मूल्यांकन कैसे किया जाता है?

४९. क्या डिपॉजिटरीज द्वारा अपनाये जाने वाले सामान्य मूल्यांकन सिद्धांत तथा आरजीईएसएस तहत मान्य प्रतिभूतियों के मूल्यांकन मानक में कोई फर्क होता है?

५०. तीन वर्ष के लॉक -इन नियम का अनुपालन कैसे होता है?

५१. फ्लेक्सिबल लॉक इन अवधि के दौरान मान्य प्रतिभूतियों की ट्रेडिंग (खरीद/बिक्री) न होने की स्थित में क्या होगा?

५२. फ्लेक्सिबल लॉक इन अवधि की समाप्ति पर मेरे डीमैट एकाउंट का क्या होगा?

VI. निगरानी तथा जुर्माने

५३. क्या हमें इस स्कीम के प्रावधानों के अनुपालन हेतु आरजीईएसएस तहत मान्य प्रतिभूतियों का मूल्यांकन करना होता है?

५४. कर कटौती के लिए हमें किस तरह से दावा करना होगा?

५५. हमें किससे न्यू रिटेल इन्वेस्टर सर्टिफिकेट तथा एनुअल एकाउंट विवरण प्राप्त होगा?

५६. आरजीईएसएस के लिए निर्धारित नियमों के उल्लंघन की स्थिति में जुर्माने का प्रावधान क्या है?

५७. विभिन्न तरह के कॉर्पोरेट ऐक्शनों जैसे- शेयर विभाजन तथा समेकन, बोनस तथा राइट इश्यू आदि का फ्लेक्सिबल लॉक इन अवधि के दौरान आरजीईएसएस के तहत किए गये निवेश पर क्या प्रभाव पड़ेगा?

५८. इस योजना की निगरानी कैसे की जाती है?

५९. और जानकारी के लिए किससे संपर्क किया जा सकता है?

आरजीईएसएस के उद्देश्य तथा वैधानिक पहलू

१. आरजीईएसएस क्या है?

राजीव गांधी इक्विटी सेविंग स्कीम (आरजीईएसएस) एक कर बचत योजना है जिसकी घोषणा संघीय बजट २०१२-१३ (पैरा ३५) में की गई। इस योजना को प्रतिभूति बाजार में पहली बार निवेश करने वाले ऐसे खुदरा निवेशकों को ध्यान में रख कर प्रारूपित किया गया है जिनकी सकल वार्षिक आय १२ लाख रू. या उससे कम है। इस योजना के तहत निवेश करने वाले निवेशकों को आयकर कानून के सेक्शन ८०सीसीजी के तहत अधिकतम ५०,००० रू. तक के निवेश पर उनकी वार्षिक कर योग्य राशि पर निवेशित राशि की ५० प्रतिशत कटौती प्राप्त होगी ।

२. इस योजना का उद्देश्य क्या है ?

२०१२-१३ के संघीय बजट में की गई घोषणा के अनुसार इस योजना का उद्देश्य बचत को प्रोत्साहित करना तथा घरेलू पूंजी बाजार की पैठ को विस्तार देना है जिससे भारत में इक्विटी संस्कृति के प्रसार में सहायता मिलेगी। इस योजना का लक्ष्य भारतीय प्रतिभूति बाजार में खुदरा निवेशकों के आधार को विस्तार देने के साथ ही वित्तीय स्थिरता तथा वित्तीय समायोजन (फाइनेंशियल इनक्ल्यूजन) पर बल देना है।

३. आरजीईएसएस के लिए वैधानिक प्रावधान क्या हैं ?

ऐसे नये खुदरा निवेशक जो पात्रता प्राप्त प्रतिभूतियों में ५०,००० रू. तक का निवेश करते हैं तथा जिनकी सकल वार्षिक आय १२ लाख रू. अथवा उससे कम है, उनको कर लाभ उपलब्ध करवाने के लिए वित्त अधिनियम २०१२ के माध्यम से आयकर अधिनियम १९६१ में ८० सीसीजी नामक एक नया सेक्शन जोड़ा गया है जो इक्विटी बचत योजना के तहत किए गये निवेश पर कटौती से संबंधित है।

आरजीईएसएस योजना के विवरण रज्स्व विभाग द्वारा २३ नवंबर २०१२(सेक्शन नं. २७७७(ई); अधिसूचना क्रमांक ५१) तथा उसके बाद५ दिसंबर २०१२ को जारी शुद्धिपत्र (सेक्शन नं. २८३५(ई); अधिसूचना क्रमांक ५३ के माध्यम से उपलब्ध करवाये गये हैं। इस संदर्भ में सेबी ने ६ दिसंबर २०१२ को इस योजना के परिचालन (ऑपरेशनल) संबंधित दिशानिर्देश जारी किये हैं।

४. क्या इक्विटी बाजार में पहली बार निवेश करने वाले अपनी पूंजी नहीं गवायेंगें? क्या उनके लिए यह निवेश नुकसानदेह होगा?

आरजीईएसएस योजना के तहत निवेश करने वाले निवेशकों को घाटा उठाने का जोखिम उतना ही है जितना प्रतिभूति बाजार में निवेश करने वाले अन्य किसी निवेशक को हो सकता है। यह योजना किसी निश्चित प्रतिफल की गारंटी नहीं देती। अत: इस

योजना के तहत निवेश करने वाले निवेशकों को सलाह दी जाती है कि वे इक्विटी बाजार में निवेश करने के पहले ठीक से जांच-पड़ताल कर लें। यद्यपि कि इस योजना को प्रारूपित करते समय निवेश को चुनिंदा लार्जकैप स्टॉकों तक सीमित रखने, सकारात्मक बाजार गतिविधि का लाभ उठाने के लिए पर्याप्त लचीलेपन के साथ लॉक-इन अवधि आदि जैसे सुरक्षात्मक उपाय किए गये हैं जिससे कि प्रतिभूति बाजार में पहली बार निवेश करने वाले निवेशकों के हितों की रक्षा की जा सके। विविधीकरण तथा इसके परिणामस्वरूप उत्पन्न होने वाले जोखिम में कमी के लाभ को उपलब्ध करवाने के लिए इस योजना के अंतर्गत निर्धारित मानकों के तहत एक्सचेंज ट्रेडेड फंडों (ईटीएफ) अथवा म्यूचुअल फंडों में भी निवेश की अनुमति दी गई है।

५. हमारे पास पहले से ही एक इक्विटी लिंक्ड बचत योजना (ईएलएसएस) है ? हमें आरजीईएसएस की क्या जरूरत है?

ईएलएसएस तथा आरजीईएसएस पूरी तरह से एक दूसरे से भिन्न योजनायें हैं जो अलग अलग असेट क्लासों से संबंधित हैं तथा ईएलएसएस अप्रत्यक्ष निवेश विकल्प उपलब्ध करवाता है। ईएलएसएस स्टॉक मार्केट में अप्रत्यक्ष भागीदारी विकल्प है जबकि आरजीईएसएस स्टॉक मार्केट में सीधी भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए प्रारूपित किया गया है। इनकी परिचालनात्मक भिन्नतायें नीचे दी जा रही हैं।

परिचालनात्मक भिन्नतायें

ईएलएसएस	**आरजीईएसएस**
म्यूचुअल फंडों में निवेश किया जाता है	इसके तहत सूचिबद्ध इक्विटियों अथवा म्यूचुअल फंड ईटीएफ सहित इक्विटी समिश्रण में सीधा निवेश किया जाता है।
ईएलएसएस के तहत १०० प्रतिशत कटौती (१ लाख रू. तक) की अनुमति है।	आरजीईएसएस के तहत सिर्फ ५० प्रतिशत कटौती (अधिकतम २५००० तक) की अनुमति है।
ईएलएसएस से प्राप्त होने वाले लाभ आयकर कानून के सेक्शन ८० सी के तहत आते हैं जिसकी समग्र सीमा एलआईसी पॉलीसी, पीपीएफ आदि जैसे पात्रता प्राप्त सभी इंस्ट्रूमेंटों के लिए १ लाख रू. है।	आरजीईएसएस कटौती सेक्शन ८०सीसीजी के तहत उपलब्ध है। यह सेक्शन ८० सी के तहत निर्धारित सीमा के अतिरिक्त विशेष तौर पर आरजीईएसएस के लिए उपलब्ध करवायी जाने वाली पृथक निवेश सीमा है।
लॉक-इन अवधि ३ वर्ष है।	लॉक-इन अवधि तीन वर्ष है। यद्यपि कि शर्तों के अधीन, एक वर्ष बाद ट्रेडिंग की अनुमति दी गई है।

चूंकि निवेश म्यूचुअल फंडों में होता है अत: इसको कम जोखिम पूर्ण माना जाता है।	चूंकि इसके तहत इक्विटी/जोखिम/स्वामित्व पूंजी/ में निवेश किया जाता है अत:इसके साथ जोखिम भी ज्यादा है।

६. अन्य कर बचत योजनाओं की तुलना में आरजीईएसएस के फायदे क्या हैं?

आरजीईएसएस से मिलने वाले फायदों का विवरण नीचे दिया जा रहा है

- सेक्शन ८० सीसीजी के तहत अनुमति प्राप्त कर कटौती, आयकर कानून के सेक्शन ८० सी के तहत मान्य १ लाख की सीमा के अतिरिक्त होगी जिसकी वजह से यह योजना मध्यवर्गीय निवेशकों के लिए आकर्षक बन जाती है।
- इसके अलावा लाभांश आय भी करमुक्त है।
- निवेशक को निवेश के एक वर्ष के उपरांत प्रति वर्ष लॉक-इन अवधि की समाप्ति के बाद अपने पोर्ट फोलियो में ट्रेडिंग करने/मुनाफा वसूलने की स्वतंत्रता होगी जो कुछ निर्धारित शर्तों के अधीन है।
- आरजीईएसएस के तहत मान्य प्रतिभूतियों के उच्च बाजार मूल्यांकन के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाले लाभ को एक वर्ष बाद अर्थात निर्धारित लॉक-इन अवधि के बाद वसूला जा सकता है। इस योजना में निवेशकों को बाजार में एक निश्चित सीमा तक होने वाली सामान्य गिरावट से सुरक्षा प्रदान करने के लिए प्रावधान किया गया है जो इस योजना को अन्य कर बचत इंस्ट्रूमेंटों से पृथक करता है।
- आप आपात स्थितियों से निपटने के लिए फिक्स्ड लॉक-इन अवधि के बाद अपने कुछ स्टॉकों को बेच सकते हैं अथवा उनको गिरवी रख सकते हैं।
- अगर आप बेसिक सर्विस डीमैट एकाउंट खोलते हैं तो आपके एकल आरजीईएसएस डिमैट एकाउंट पर ५०,००० रू. तक के निवेश पर कोई भी वार्षिक अनुरक्षण शुल्क आरोपित नहीं किया जायेगा तथा २ लाख रू. तक के निवेश पर १०० रू. की दर से वार्षिक अनुरक्षण शुल्क आरोपित किया जायेगा।
- पहले वित्त वर्ष के दौरान किश्तों में निवेश किया जा सकता है जिसमें कर कटौती का दावा किया जा सकता है।

योजना का व्याप्ति (कवरेज) - आरजीईएसएस के तहत मान्य निवेशक तथा निवेश

७. इस योजन के तहत किनको शामिल किया जायेगा? नया निवेशक किनको माना जायेगा?

यह स्कीम ऐसे सभी नये खुदरा निवेशकों के लिए खुली हई है जिनकी कुल सकल आय १२ लाख रू. या उससे कम है। नया खुदरा निवेशक उसको माना जायेगा जो

- एक निवासी भारतीय है (इस योजना के तहत मिलने वाले लाभ कॉर्पोरेट हस्तियों/ट्रस्ट आदि को हासिल नहीं है)।
- जिसने डीमैट एकाउंट नहीं खोल रखा है तथा उसने आरजीईएसएस एकाउंट खोलने की तिथि तक डेरीवेटिव्स सेग्मेंट में कोई ट्रेडिंग नहीं की है।
- जिसने डीमैट एकाउंट खोल रखा है किंतु उस एकाउंट को आरजीईएसएस के लिए नामित करने की तिथि तक उसमें इक्विटी तथा/अथवा डेरीवेटिव्स सेग्मेंट से संबंधित कोई ट्रांजेक्शन नहीं हुआ है।

  ज्वाइंट एकाउंट के मामले में सिर्फ पहले एकाउंट होल्डर को वर्तमान खुदरा निवेशक मान्य किया जायेगा। पहले डीमैट एकाउंट धारक के अलावा उन सभी वर्तमान एकाउंट धारकों (यानी दूसरा/तीसरा एकाउंट धारक अथवा अन्य संयुक्त धारक) अथवा वर्तमान एकाउंट धारकों के नामितियों (नॉमिनी) को, यदि वे अन्य दृष्टियों से पात्रता रखते हैं, एक नया आरजीईएसएस एकाउंट खोलने के उद्देश्य से नया खुदरा निवेशक माना जायेगा।

  यदि पहले धारक के तौर पर डिमैट एकाउंट खोला जाता है किंतु इसमें इक्विटी अथवा डेरीवेटिव्स सेग्मेंट से संबंधित कोई सौदा नहीं होता है तो पहला एकाउंट धारक पात्र माना जायेगा।

  नये खुदरा निवेशक को एकाउंट खोलते समय डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के समक्ष फार्म ए पर उद्घोषणा जमा करना होगी जिसमें वर्तमान डीमैट एकाउंट को आरजीईएसएस के तहत मिलने वाले लाभों के लिए नामित किया जायेगा।

  इसके बाद इस एकाउंट के माध्यम से खरीदी गई ५०,००० रू. तक की मान्य प्रतिभूतियां तब तक के लिए स्वत: लाक - इन अवधि में आ जायेंगी जब तक निवेशक इस उद्देश्य के लिए निर्धारित फार्म बी पर कोई अन्य निर्देश नहीं देता।

८. मैं अनिवासी भारतीय हूं , क्या मैं आरजीईएसएस के तहत निवेश करने का पात्र हूं?

नहीं।

९. मेरे पास पहले से ही म्यूचुअल फंड की यूनिटों तथा /अथवा एक्सचेंज ट्रेडेड फंड की धारिता है , क्या मैं आरजीईएसएस के तहत निवेश करने का पात्र हूं?

हां. म्यूचुअल फंडों तथा एक्सचेंज ट्रेडेट फंडों में पूर्व में किया गया निवेश इस योजना के लिए निवेशक को अपात्रता प्रदान नहीं करता। हालांकि आपको आरजीईएसएस के तहत लाभ हासिल करने के लिए आरजीईएसएस के तहत मान्य म्यूचुअल फंड/ईटीएफ स्कीमों में निवेश की जरूरत होती है तथा उनको एक नामित डिमैट एकाउंट में धारित करना होता है।

१०. मेरे पास कुछ भौतिक शेयरों की धारिता है, क्या मैं आरजीईएसएस के तहत निवेश करने का पात्र हूं?

हां. यदि आप अन्य दृष्टियों से पात्रता रखते हैं तो आपको एक नये खुदरा निवेशक के तौर पर मान्य किया जायेगा। यद्यपि कि आपको आरजीईएसएस के तहत उपलब्ध होने वाले लाभों को हासिल करने के लिए नया निवेश करना होगा। इस तरह के

शेयरों के डिमटेरियलाइजेशन की स्थिति में आप आरजीईएसएस के तहत मिलने वाले लाभ के लिए दावा करने के हकदार नहीं होंगें।

११. इस योजना के तहत कौन से निवेश विकल्प उपलब्ध हैं? आरजीईएसएस के तहत किन प्रतिभूतियों को मान्यता प्राप्त है?

इस योजना के तहत उपलब्ध निवेश विकल्प नीचे दिए गये श्रेणियों की प्रतिभूतियों तक सीमित रहेगा।

सूचिबद्ध इक्विटी शेयर

ए - एनएसई तथा बीएसई के शीर्ष १०० शेयर अर्थात् सीएनएक्स १००/बीएसई -१०० (इसका यह मतलब नहीं है कि किसी को सिर्फ एनएसई तथा बीएसई के माध्यम से ट्रेडिंग करनी होगी। यदि बीएसई १०० अथवा सीएनएक्स १०० में शामिल प्रतिभूतियां बाद में अस्तित्व में आने वाले किसी नये स्टॉक एक्सचेंज में सूचिबद्ध तथा ट्रेड होती हैं तो ये आरजीईएसएस के तहत पात्रता प्राप्त होंगी)।

बी - सार्वजनिक क्षेत्र की ऐसी कंपनियों के शेयर जिनको सरकार ने महारत्न, नवरत्न तथा मिनी रत्न की श्रेणी में रखा है।

सी - प्वाइंट (ए) तथा/अथवा प्वाइंट (बी) में दिए गये स्टॉकों का समिश्रण जो स्टॉक एक्सचेंज में सूचिबद्ध है तथा एक्सचेंज में जिनकी ट्रेडिंग होती है तथा जिनका सेटलमेंट डिपॉजिटरी सिस्टम के माध्यम से होता है (यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड(ईटीएफ)/प्वाइंट (ए) तथा प्वाइंट (बी) में उल्लिखित आरजीईएसएस के तहत मान्य प्रतिभूतियों की अंडरलाइंग के तौर पर रखने वाली म्यूचुअल फंड (एमएफ) स्कीम, शर्त यह है कि ये स्टॉक एक्सचेंज में सूचिबद्ध हो तथा एक्सचेंज में इनकी ट्रेडिंग होती तथा इनका सेटलमेंट डिपॉजिटरी पद्धति से होता हो)

डी - प्वाइंट (ए) तथा प्वाइंट (बी) में दी गई प्रतिभूतियों के फालो ऑन पब्लिक ऑफर

ई - प्वाइंट (सी) में उल्लिखित शर्तों के अनुसार नये फंड ऑफर

असूचिबद्ध इक्विटी शेयर

एफ. सार्वजनिक क्षेत्र की ऐसी कंपनियों के इनीश्यल पब्लिक ऑफर (आईपीओ) जिनको संबद्ध वित्त वर्ष में सूचिबद्ध किया जाना हो तथा जिनमें सरकार की धारिता कम से कम ५१ प्रतिशत हो तथा जिनका वार्षिक टर्नओवर प्रत्येक तात्कालिक तीन वर्ष में ४००० करोड़ रू. से कम न हो (*निवेश मानक निवेश के समय लागू नियमों के अनुसार)

१२. इन मान्यता प्राप्त प्रतिभूतियों के संदर्भ में हमें कहां से सूचना प्राप्त हो सकती है?

एक्सचेंज/डिपॉजिटरीज/एएमएफआई की वेबसाइटों पर समय समय पर मान्यता प्राप्त प्रतिभूतियों की अद्यतन सूची जारी की जाती है ।

विस्तृत सूचना के लिए सेबी, एनएसई, बीएसई, एनएसडीएल, सीडीएसएल तथा एएमएफआई के वेबसाइटों पर संबद्ध पेज देखें।

मान्यता प्राप्त आईपीओ के मामले में कंपनियां अपने ऑफर डॉक्यूमेंट, सार्वजनिक विज्ञापनों में सूचना प्रकाशित करेंगी।

१३. आरजीईएसएस के तहत किया जाने वाला निवेश सिर्फ शीर्ष १००स्टॉकों तक ही सीमित क्यों है?

यह योजना ऐसे नये निवेशकों को ध्यान में रखकर प्रारूपित की गई है जो पहली बार प्रतिभूति बाजार में कदम रख रहे हैं। निवेश चुनाव को बीएसई १०० अथवा सीएनएक्स १०० तथा चुनिंदा पीएसयू स्टॉकों सहित ऐसे स्टॉकों तक सीमित रखा गया है जिनमें सामान्य तौर पर निम्न चंचलता, उच्च तरलता देखने को मिलती है तथा बाजार में इनके विश्लेषण के लिए पर्याप्त सूचना उपलब्ध है। इसके साथ ही १०० स्टॉकों की रेंज निवेश में विविधीकरण के लिए भी पर्याप्त संभावना पेश करती है।

१४. जब मैंने किसी स्टॉक में निवेश किया था तो वह बीएसई १०० में शामिल था, बाद में उस स्टॉक को एक्सचेंज ने बीएसई १००से बाहर कर दिया, क्या मेरा वह निवेश मेरे द्वारा रिटर्न फाइल किए जाते समय आरजीईएसएस के तहत मान्य होगा ?

किसी स्टॉक को सिर्फ उस समय बीएसई १०० अथवा सीएनएक्स १०० में रहना चाहिए जब निवेश किया गया हो । इसका अर्थ यह है कि यदि उक्त स्टॉक बाद में बीएसई १०० अथवा सीएनएक्स १०० से बाहर भी हो जाता है तो निवेशक को आरजाईएसएस के शर्तों के तहत पात्र माना जायेगा। यद्यपि कि यह अधिकार इन स्टॉकों को आरजाईएसएस पोर्टफोलियो से बेचने तक सीमित है। यदि कोई निवेशक अपने वर्तमान स्टॉकों में बढ़त करता या पुनर्खरीद करता है तो अतिरिक्त स्टॉकों को आरजाईएसएस पोर्टफोलियो का हिस्सा नहीं माना जायेगा।

१५. मैने मार्च माह में आईपीओ के लिए आवेदन किया था; किंतु कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में अप्रैल माह में यानी अगले वित्त वर्ष में सूचिबद्ध हुई , क्या मेरा निवेश मान्य होगा?

नहीं, सिर्फ तब जब यह उसी वित्त वर्ष में सूचिबद्ध होने वाला हो तो निवेश इस योजना के तहत मान्य होगा।

१६. प्रतिभूति बाजार में मैं अधिकतम कितनी राशि निवेशित कर सकता हूं? क्या मैं यह निवेश किश्तों में कर सकता हूं?

प्रतिभूति बाजार में आपके निवेश के लिए कोई सीमा निर्धारित नहीं होती। यद्यपि कि सिर्फ ५०,००० रू. तक की मान्य प्रतिभूतियों में किए गये निवेश को ही आरजाईएसएस के तहत उपलब्ध लाभ प्राप्त होंगें। यह निवेश किस्तों में किया जा सकता है। यद्यपि कि सिर्फ पहले वर्ष के दौरान किए गये निवेश के लिए ही सेक्शन ८०सीसीजी के तहत लाभों का दावा किया जा सकता है। अत: यदि आप किश्तों में निवेश कर रहे हैं तो यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा किया जाने वाला समस्त किश्त आधारित निवेश एक ही वित्त वर्ष के दौरान किया जाये (यह वह वर्ष होना चाहिए जिसमें आपने आरजाईएसएस के लिए

एकाउंट खोला है या इसके लिए अपने एकाउंट को नामित किया है)। बाद के दो वर्ष में किए गये निवेश को आरजाईएसएस के तहत मान्य किया जायेगा।

१७. क्या मैं आरजीईएसएस के तहत किये जाने वाले अपने निवेश को दो वित्त वर्षों में विभाजित कर सकता हूं तथा कटौती का दावा कर सकता हूं?

हा, तीन वित्तीय वर्ष के दौरान किए गये निवेश को ही आरजाईएसएस के तहत कटौती का दावा करने के लिए निवेश के तौर पर संबंधित वर्ष के लिए अभिलेखित किया जा सकता है।

१८. आरजीईएसएस के तहत कितने की कर कटौती प्राप्त होगी?

आपको इस योजना के तहत सेक्शन ८० सीसीजी के तहत निवेशित राशि के ५० प्रतिशत तक कर कटौती प्राप्त होगी। इसका अर्थ यह है कि यदि आप आरजीईएसएस के तहत ५०,००० रू. का निवेश करते हैं तो आपके कर योग्य आय में से कर कटौती की पात्र राशि २५,००० रू. होगी। इसी तरह यदि हम यह मान लेते हैं कि आपने आरजीईएसएस के तहत ४०,००० रू. का निवेश किया है तो आपके कर योग्य आय में से कर कटौती की पात्र राशि २०,००० रू. होगी। यह कटौती सेक्शन ८० सी के तहत प्राप्त होने वाली १ लाख रू. की सीमा के अतिरिक्त है।

दूसरे शब्दों में ऐसे लोगों के लिए, जो १० प्रतिशत आयकर ब्रैकेट में आते हैं , आरजीईएसएस के तहत ५०,००० रू. तक के निवेश पर २५०० रू.(प्लस लागू उपकर) कर दायित्व बचत के रूप में प्रतिफलित होंगें तथा ऐसे लोगों के लिए, जो २० प्रतिशत आयकर ब्रैकेट में आते हैं , आरजीईएसएस के तहत ५०,००० रू. तक के निवेश पर ५००० रू. (प्लस लागू उपकर) कर दायित्व बचत के रूप में प्रतिफलित होंगें।

१९. मैंने पहले से ही सेक्शन ८० सी के तहत कर लाभ का दावा कर रखा है, क्या मैं आरजीईएसएस के तहत निवेश करने सकता हूं?

हां कर सकते हैं। आरजीईएसएस के लिए सेक्शन ८० सीसीजी के तहत कर कटौती प्राप्त होती है जो सेक्शन ८० सी के तहत निर्धारित १ लाख की सीमा के अतिरिक्त है। इसके साथ ही नागरिकों के लिए यह अनिवार्य नहीं है कि वे आरजीईएसएस के लिए सेक्शन ८० सीसीजी के तहत निवेश करने के लिए पहले सेक्शन ८० सी के तहत निर्धारित १ लाख की सीमा का पूर्ण रूप से उपयोग करें।

२०. क्या मैं ५०,००० रू. से अधिक निवेश कर सकता हूं तथा आरजीईएसएस के तहत कर लाभ का दावा कर सकता हूं?

आप अपने आरजीईएसएस के लिए नामित डीमैट एकाउंट में किसी भी सीमा तक निवेश कर सकते हैं किंतु इस योजना का लाभ सिर्फ ५०,००० रू. तक के निवेश पर ही प्राप्त होगा। यद्यपि कि आपको आरजीईएसएस के तहत मिलने वाले लाभों हेतु दावा करने के लिए ५०००० रू. तक के स्टॉकों को लॉक-इन के तहत रखने के लिए चयनित करने का अधिकार होगा। यह ध्यान में रखने की जरूरत है कि डिपॉजिटरी निवेश के पहले वर्ष के दौरान आरजीईएसएस के लिए नामित एकाउंट में ५०,००० रू. तक की आरजीईएसएस मान्य प्रतिभूतियों को स्वत: ही लॉक-इन में रख देगा। अत: आपको अपने डीपॉजिटरी पार्टिसिपेंट को सौदे के एक माह के अंदर फार्म बी के माध्यम से यह सूचित करना होगा कि आप अपने किस निवेश को आरजीईएसएस निवेश के पहले वर्ष के अंश तौर पर शामिल नहीं करना चाहते जिससे कि आप ऐसी प्रतिभूतियों को कभी भी बेचने/गिरवी रखने का अधिकार अपने पास सुरक्षित रख सकें। फार्म बी पर एक बार इस तरह का आवेदन किए जाने के बाद उस प्रतिभूति विशेष को निवेश के पहले वर्ष में कर लाभ का दावा करते समय आरजीईएसएस के तहत शामिल नहीं किया जा सकता। फ्लेक्सिबल लॉक-इन अवधि के अनुवर्ती वर्षों में, यदि यह स्टॉक अभी भी आरजीईएसएस प्रावधानों के तहत पात्र प्रतिभूति है तो, उसको निवेश के पहले वर्ष में पात्रता प्राप्त प्रतिभूति की उसकी किसी भी स्थिति को संज्ञान में लिया बिना, आरजीईएसएस पोर्टफोलियो के वेल्यूएशन में शामिल किया जायेगा।

२१. मैंने कंपनी ''ए '' में ७०,००० रू. के शेयरों की खरीद की है जो आरजीईएसएस के तहत मान्यता प्राप्त प्रतिभूति है; मैं ५०,००० रू. से अधिक के अपने निवेश को कैसे मुक्त कर सकता हूं?

अगर आपने आरजीईएसएस के तहत ७०,००० रू. के शेयरों की खरीद की है तो डिपॉजिटरी ५०,००० रू. के शेयरों को फिक्स्ड लॉक-इन के तहत रखेगा। २०,००० रू. के शेयर लान-इन में नहीं रहेंगें। किंतु यदि आप लॉक-इन में रखे जाने वाले शेयरों का चुनाव करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको डिपॉजिटरी को प्रश्न नं. २१ में दी गई व्यवस्था के तहत डीपॉजिटरी को सूचित करना होगा।

२२. हमें कब फार्म बी जमा करना चाहिए ? क्या इसके लिए कोई समय सीमा निर्धारित है ?

यदि आप किसी प्रतिभूति को आरजीईएसएस के नियमों तथा शर्तों से बाहर रखना चाहते हैं तो आपको इस संदर्भ में डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट को फार्म बी पर सूचित करना होगा। इस फार्म को प्रतिभूति की खरीद/आबंटन के एक माह के अंदर जमा करना होगा ।

इस संदर्भ में जारी अधिसूचना के अनुसार डिपॉजिटरीज को संबद्ध वित्त वर्ष की समाप्ति तिथि के ३० दिन के अंदर यानी ३० अप्रैल तक आयकर विभाग को आरजीईएसएस के लाभभोगियों से संबंधित सूचना आयकर विभाग में जमा करनी होगी। अत:

आपके निवेश के संदर्भ में डिपॉजिटरीज द्वारा आयकर विभाग को गलत सूचना भेजने की स्थिति से बचने के लिए आपको सलाह दी जाती है आप मार्च माह के दौरान प्राप्त क्रेडिट के बारे में यथा शीघ्र, अधिक उचित होगा १५ अप्रैल तक, फार्म बी पर डिपॉजिटरी के समक्ष अपनी उद्घोषणा जमा कर दें।

२३. क्या मैं फार्म बी में उल्लिखित मान्य प्रतिभूतियों में किए गये निवेश के लिए कर कटौती का दावा कर सकता हूं ?
नहीं।

योजना में भागीदारी : प्रक्रियात्मक तथा परिचालनात्मक मामले

२४. मैं आरजीईएसएस के तहत पात्रता प्राप्त निवेश कैसे कर सकता हूं?
किसी डिपॉजिटरी के साथ में एक नया डीमैट एकाउंट खोलें तथा इसको आरजीईएसएस के तहत नामित करें अथवा अपने वर्तमान डीमैट एकाउंट को फार्म ए के माध्यम से आरजीईएसएस के तहत नामित करें। अगर आप बेसिक सर्विस डीमैट एकाउंट सुविधा हासिल करना चाहते हैं तो आपअपने डीपी को अपने एकाउंट को इस उद्देश्य से नामित करने के लिए सूचित कर सकते हैं।
आप स्टॉक मार्केट में पात्रता प्राप्त स्टॉकों में निवेश करने अथवा पात्रता प्राप्त आईपीओ के लिए आवेदन करने के लिए ट्रेडिंग एकाउंट खोलने हेतु सेबी से मान्यता प्राप्त किसी भी स्टॉक ब्रोकर की सेवा ले सकते हैं।
अगर आप किसी वितरक के माध्यम से म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहे हैं तो आपको डीमैट एकाउंट में म्यूचुअल फंड यूनिटों की क्रेडिट हासिल करने के डीमैट एकाउंट नं. तथा डीपी आईडी जैसी सामान्य सूचनायें उपलब्ध करवानी होती हैं।

२५. पात्रता प्राप्त प्रतिभूतियों की होल्डिंग पद्धति क्या होगी?
आरजीईएसएस के तहत मान्य प्रतिभूतियों को डीमैट एकाउंट में धारित करना होगा। आप प्रतिभूतियों को आरजीईएसएस के तहत मिलने लाभों को हासिल करने के लिए भौतिक स्वरूप में धारित नहीं कर सकते।

२६. क्या मुझे अपने म्यूचुअल फंड /ईटीएफ यूनिटों को डीमैट स्वरूप में भी हासिल करने की जरूरत होगी?
हां, अपने म्यूचुअल फंड यूनिटों को डीमैट स्वरूप में हासिल करने के लिए अपने असेट मैनेजमेंट कंपनी अथवा आरटीए के समक्ष आवेदन करें । अधिक विवरण के लिए कृपया सीडीएसएल/एनएसडीएल निर्देश/दिशानिर्देश देखें।

२७. क्या निवेशक को आरजीईएसएस का लाभ उठाने के लिए इस उद्देश्य से एक पृथक डीमैट एकाउंट खोलना होगा? क्या मैं अपने आरजीईएसएस के लिए निर्धारित डिमैट एकाउंट में आरजीईएसएस के तहत मान्य प्रतिभूतियों के अलावा अन्य प्रतिभूतियों को रख सकता हूं?

आरजीईएसएस के लाभों को हासिल करने के लिए एक पृथक एकाउंट खोलने की जरूरत नहीं होती । आरजीईएसएस के लिए नामित डीमैट एकाउंट में आरजीईएसएस के तहत मान्य प्रतिभूतियों के अलावा अन्य प्रतिभूतियों /शेयरों को भी रखा जा सकता है। आरजीईएसएस के अलावा अन्य प्रतिभूतियों में किया गया निवेश आरजीईएसएस के नियमों तथा शर्तों के अधीन नहीं होगा और न तो इन पर आरजीईएसएस के तहत कोई कर लाभ ही प्राप्त होगा।

२८. क्या ऑफ मार्केट ट्रेड अथवा डिमटेरियलाइजेशन के माध्यम से मेरे डिमैट एकाउंट में हुए क्रेडिट को आरजीईएसएस के तहत अनुलाभ प्राप्त होगा?

नहीं। यद्यपि कि फ्लेक्सिबल लॉक-इन के वर्षों में (अर्थात पहले वर्ष के बाद) सभी आरजीईएसएस मान्य प्रतिभूतियों को - चाहे वे ऑफ मार्केट अधिग्रहित की गई हों अथवा डिमटेरियलाइजेशन के माध्यम से हासिल हुई हों - स्कीम के नियमों के निवेशक द्वारा अनुपालन की जांच के दौरान संज्ञान में लिया जायेगा।

२९ . मैं किसी डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के साथ किस तरह से आरजीईएसएस डीमैट एकाउंट खोल सकता हूं?

आप आरजीईएसएस के तहत डीमैट एकाउंट खोलने के लिए किसी पंजीकृत डीपी की सेवा ले सकते हैं । एनएसडीएल तथा सीडीएसएल के साथ पंजीकृत डीपी की सूचि यहां (http://www.sebi.gov.in/sebiweb/home/list/5/33/0/0/Recognised-Intermediaries) देखी जा सकती है।

आपको सेबी द्वारा निर्धारित नो योर क्लायंट (केवाईसी) नियमों का पालन करना होगा जिसके लिए आपको उस डीपी के पास अपने पहचान तथा पते के प्रमाण के साथ ही पैन नं. को सब्मिट करना होगा जिसके साथ आप डीमैट एकाउंट खोलना चाहते हैं । इसके साथ ही आपको निर्धारित प्रारूप पर (फार्म ए पर) आरजीईएसएस अनुलाभ हालिस करने की उदघोषणा भी जमा करनी होगी।

अधिक जानकारी के लिए एनएसडीएल तथा सीएसएल द्वारा जारी प्रश्नोत्तर (एफ ए क्यू) देखें।

३०. मैं किस तरह से ट्रेडिंग एकाउंट खोल सकता हूं?

आप अपने पीजी बाजार से संबंधित सौदों को संपन्न करने के लिए सेबी में पंजीकृत किसी ब्रोकर (ट्रेडिंग मेंबर) अथवा सब-ब्रोकर की सेवायें ले सकते हैं। सेबी की वेबसाइट (http://www.sebi.gov.in/sebiweb/home/list/5/33/0/0/Recognised-Intermediaries) पर पंजीकृत ब्रोकरों तथा सब-ब्रोकरों की सूचि देखी जा सकती है।

३१. डीमैट/ट्रेडिंग एकाउंट खेलने के लिए किन दस्तावेजों की जरूरत होती है ?

आपको इस संदर्भ में निर्धारित फार्म के साथ नीचे दिए जा रहे दस्तावेज जमा करने होंगे। अगर आप अन्य लोगों के साथ संयुक्त खाता खोलना चाहते हैं तो सभी खाता धारकों द्वारा कुछ निर्धारित दस्तावेज जमा किए जाने होंगें।

पैन कॉर्ड की स्वप्रमाणित प्रति तथा पासपोर्ट आकार की फोटो प्रति सभी के लिए अनिवार्य होगी। आवेदक द्वारा जमा किए जाने वाले सभी दस्तावेजों की प्रतियां स्वप्रमाणित होनी चाहिए ताथ जांच के लिए मूल दस्तावेज भी संलग्न होने चाहिए। अगर किसी स्थिति में जांच के लिए मूल प्रति पेश नहीं की जा सकती है तो उनकी प्रतियों को अधिकृत प्रमाणकर्ता द्वारा प्रमाणित किया होना चाहिए ।

पहचान प्रमाणपत्र (पीओआई)

- पासपोर्ट
- मतदाता पहचानपत्र
- ड्राइविंग लाइसेंस
- फोटोग्राफ सहित पैन कॉर्ड
- आधार (युनीक आईडी) लेटर
- ए) केंद्र/राज्य सरकारों तथा इनके विभागों, बी) वैधानिक/नियामक प्राधिकारियों, (सी) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, (डी) अनुसूचित व्यावसायिक बैंको, (ई) सार्वजनिक वित्तीय संस्थाओं, (एफ) विश्वविद्यालयों से संबद्ध कॉलेजों (इनके द्वारा जारी दस्तावेज/पहचान पत्र तब तक वैध होगा जब तक आवेदक उस संस्था का छात्र है) द्वारा जारी जस्तावेज तथा पहचान पत्र, (जी) आईसीएआई, आईसीडब्ल्यूएआई ,आईसीएसआई, बार काउंसिल जैसी प्रोफेशनल बॉडीज द्वारा अपने सदस्यों को जारी पहचान पत्र तथा (एच) बैंको द्वारा जारी क्रेडिट कॉर्ड/डेबिट कॉर्ड

निवास प्रमाणपत्र (पीओए)

- राशन कॉर्ड
- पासपोर्ट
- मतदाता पहचानपत्र
- ड्राइविंग लाइसेंस
- बैंक पासबुक

- इलेक्ट्रिसिटी बिल, गैस बिल (दो माह से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए) जैसे यूटिलिटी बिलों की वेरीफाई की हुई प्रति, आवास टेलीफेन बिल (दो माह से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए), आवास का पंजीकृत लीज अथवा सेल एग्रीमेंट /फ्लैट मेंटेनेंस बिल/ इंश्योरेंश कॉपी.
- बैंक एकाउंट स्टेटमेंट /पास बुक
- उच्चतम तथा उच्चन्यायालयों के न्यायाधीशों द्वारा की गई स्व-घोषणा जिसमें अपने निजी एकाउंट के संदर्भ में नये पते का उल्लेख होना चाहिए।
- इनमें से किसी द्वारा जारी एड्रेस प्रूफ : अनुसूचित व्यावसायिक बैंको/अनुसूचित सहकारी बैंको/बहुराष्ट्रीय विदेशी बैंकों/राजपत्रित अधिकारी/नोटरी पब्लिक/विधान सभा तथा संसद के चुने गये प्रतिनिधि/कोई सरकार तथा वैधानिक प्राधीकारी
- ए) केंद्र/राज्य सरकारों तथा इनके विभागों, बी) वैधानिक/नियामक प्राधिकारियों, (सी) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, (डी) अनुसूचित व्यावसायिक बैंको, (ई) सार्वजनिक वित्तीय संस्थाओं, (एफ) विश्वविद्यालयों से संबद्ध कॉलेजों (इनके द्वारा जारी दस्तावेज/पहचान पत्र तब तक वैध होगा जब तक आवेदक उस संस्था का छात्र है) द्वारा जारी जस्तावेज तथा पहचान पत्र, (जी) आईसीएआई, आईसीडब्ल्यूएआई ,आईसीएसआई, बार काउंसिल जैसी प्रोफेशनल बॉडीज द्वारा अपने सदस्यों को जारी पहचान पत्र.

दस्तावेजों को प्रमाणित करने के लिए अधिकृत व्यक्तियों की सूचि: नोटरी पब्लिक, राजपत्रित अधिकारी, अनुसूचित व्यावसायिक /सहकारी बैंकों अथवा बहुराष्ट्रीय विदेशी बैंकों के प्रबंधक (दस्तावेजों की प्रमाणित प्रति पर इनके नाम, पद तथा मुहर का अंकन होना चाहिए).

आपको वेरीफिकेशन के लिए अपने डीपी/ट्रेडिंग मेंबर के पास मूल दस्तावेज ले जाना याद रखना चाहिए। खाता (एकाउंट) खोलते समय आपका डीपी/ट्रेडिंग मेंबर खाता धारक का 'इन प्रेजेंस वेरीफिकेशन'करेगा। आपको अपनी भविष्य की जरूरतों के लिए एग्रीमेंट की कॉपी तथा शुल्कों के शेड्यूल को प्राप्त करना याद रखना चाहिए।

आपका डीपी /ट्रेडिंग मेंबर पहचान/पते का एक अतिरिक्त प्रमाण मांग सकता है।

३२. मै पैन छूट श्रेणी से संबंधित (सिक्किम का निवासी) हूं, क्या मैं बिना पैन के आरजीईएसएस एकाउंट खोल सकता हूं ?

आरजीईएसएस के लाभों को हासिल करने के लिए पैन का होना अनिवार्य शर्त है, चाहे आप पैन छूट श्रेणी के तहत क्यूं न आते हों। पैन कॉर्ड हासिल करने के तरीके पर और जानकारी के लिए यहां देखें - https://tin.tin.nsdl.com/pan/index.html

३३. क्या मैं अपने ट्रेडिंग तथा डिमैट एकाउंट के लिए इंटरनेट एक्सेस की मांग कर सकता हूं ?

हां, इसको वरीयता दी जानी चाहिए । इससे आपको अपने एकाउंट(खाते) की रियल टाइम जांच तथा उसमें धारित प्रतिभूतियों के आकलन में सहायता मिलेगी।

३४. क्या मैं अपने किसी वर्तमान डिमैट एकाउंट को आरजीईएसएस के तहत उपयोग हेतु नामित कर सकता हूं ?

हां, किंतु इसके लिए शर्त यह है कि आप आरजीईएसएस के तहत नये खुदरा निवेशक के तौर पर पात्रता रखते हों। अपने वर्तमान डीमैट एकाउंट को आरजीईएसएस के तहत नामित करने के लिए आपको अपने डीपी के पास निर्धारित प्रारूप पर (यानी फार्म ए पर) उद्घोषण जमा करनी होगी।

३५. फॉर्म ए , फॉर्म बी अदि कहां से प्राप्त किए जा सकते हैं?

आप अपने डीपी से फॉर्म ए तथा फॉर्म बी प्राप्त कर सकते हैं अथवा इसको सीधेतौर पर वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के लिए यहां देखें - http://investor.sebi.gov.in/rgess.html

३६. क्या आरजीईएसएस के लिए एक से अधिक डीमैट एकाउंट खोल सकता हूं या नामित कर सकता हूं?

नहीं. आप आरजीईएसएस के तहत सभी डिपॉजिटरियों (एनएसडीएल/सीडीएसएल) में सिर्फ एक डीमैट एकाउंट रख सकते हैं।

३७. क्या आरजीईएसएस के लिए कम लागत वाले डीमैट एकाउंट का प्रावधान है ?

व्यापक वित्तीय समायोजन, डिमैट एकाउंटों की होल्डिंग को प्रोत्साहित करने तथा खुदरा व्यक्तिगत निवेशकों के लिए डिमैट एकाउंटों में प्रतिभूतियों को अनुरक्षित रखने की लागत को कम करने के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए २७ अगस्त २०१२ को यह निर्णय लिया गया कि सभी डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट एक बेसिक सर्विस डीमैट एकाउंट (बीएसडीए) की सुविधा देंगे, जो ऐसे सभी व्यक्तिगत निवेशकों को जो सिर्फ एक डिमैट एकाउन्ट रखते हैं या रखना चाहते हैं, तथा जो एकल अथवा पहले धारक है, को अपनी सेवाएं देंगी। इन एकाउन्टों में किसी एक समय में २ लाख रु. से अधिक की प्रतिभूतियां नहीं रखी जा सकेंगी।

इस तरह के अकाउंटों में यदि धारित प्रतिभूतियों का मूल्य ५०,००० रू. तक है तो डीपी द्वारा किसी भी तरह का वार्षिक अनुरक्षण शुल्क नहीं लिया जायेगा। किंतु यदि यह धारिता ५०,००१ रू. से २००,००० रू. तक होती है तो जीपी वार्षिक अनुरक्षण शुल्क के तैर पर अधिकतम १०० रू. वसूल करेगा। पहली बार निवेश करने वाले निवेशक बीएसडीए का उपयोग करके इक्विटी बाजार में भागीदारी की अपनी लागत को घटा सकते जिसके लिए वे अपने आरजाईएसएस एकाउंट को बीएसडीए एकाउंट के तौर पर भी नामित कर सकते हैं।

विभिन्न डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंटों के साथ डिमैट एकाउंट खोलने के शुल्क के तुलनात्मत विवेचन के लिए संबद्ध डिपॉजिटरियों - एनएसडीएल तथा सीडीएसएल - की वेबसाइट देखी जा सकती है।

३८. प्रतिभूति बाजार में कारोबार करते समय क्या करें, क्या न करें?

कृपया इस संदर्भ में सेबी दिशा-निर्देश देखें। कृपया सुरक्षा सलाह के लिए बीएसई और एनएसई एक्सचेंज की वेबसाइट देखें। एनएसडीएल और सीडीएसएल पर निवेशकों का मार्गदर्शन भी देखें।

सेबी निवेशकों की शिक्षा के लिए अपन वेबसाइट (www.investor.sebi.gov.in) को निरंतर अपडेट करती रहती है। कृपया प्रतिभूति बाजार में निवेश करन से पहले यहां पर उपलब्ध करायी गयीं पाठ्य सामग्री का नियमित अध्ययन करते रहें।

३९. प्रतिभूति बाजार में मैं अपने सौदों से संबंधित शिकायतें किस प्रकार दर्ज करवा सकता हूं?

किसी भी प्रकार की शिकायत के मामले में आपको सबसे पहले संबंधित कंपनी/मध्यस्थ से संपर्क करना चाहिये, जिसके विरुद्ध आप अपनी शिकायत दर्ज करवाना चाहते हैं। सेबी ने सभी स्टॉक एक्सचेंजों, पंजीकृत ब्रोकरों, सब-ब्रोकरों, डिपोजिटरियों, म्युच्युअल फंडों तथा सूचीबद्ध कंपनियों को निर्देश दे रखा है कि वे निवेशकों द्वारा दर्ज करायी जानेवाली शिकायतों से संबंधित एक विशेष ई-मेल आईडी का प्रावधान करें, जो शिकायत निपटान विभाग/अनुपालन अधिकारियों की आईडी हो।

यदि शिकायत का निपटान कंपनी/मध्यस्थ के स्तर पर नहीं हो पाता है, तो आप संबंधित डिपोजिटरी/एक्सचेंज से संपर्क कर सकते हैं।

डिपोजिटरी और स्टॉक एक्सचेंजों ने प्रतिभूति बाजार से संबंधित निवेशकों की शिकायतों के शीघ्र निपटान के लिए 'इन्वेस्टर ग्रिवंस रिड्रेसल सेल' की स्थापना की हुई है। एक्सचेंजों ने ब्रोकरों द्वारा भुगतान में विफल होने की स्थिति में निवेशकों के दावों का भुगतान करने के लिए इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड (आईपीएफ) की स्थापना कर रखी है। एक्सचेंज और डिपोजिटरी ब्रोकर/डिपोजिटरी पार्टीसिपेंट्स और निवेशकों के बीच आर्बिट्रेशन प्रक्रिया में भी सहायता प्रदान करते हैं।

निवेशकों की शिकायतों के निपटान करने की पद्धति के विस्तृत विवरण के लिए कृपया बीएसई और एनएसई स्टॉक एक्सचेंज की तथा एनएसडीएल और सीडीएसएल डिपोजिटरीज की वेबसाइट देखें।

यदि शिकायत एक्सचेंज/डिपोजिटरीज के स्तर पर नहीं सुलझायी गयी हो, तो आप अपनी शिकायत बाजार नियामक सेबी के समक्ष ले जा सकते हैं। सेबी निर्गम और प्रतिभूतियों के हस्तांतरण तथा सूचीबद्ध कंपनियों से लाभांश का भुगतान न मिलने से संबंधित शिकायतें सीधे तौर पर भी स्वीकार करती है। इसके अतिरिक्त, सेबी विभिन्न पंजीकृत मध्यस्थतों जैसे कि म्युच्युअल फंड, स्टॉक ब्रोकर आदि के खिलाफ शिकायतें सुनकर निपटान करती है। सेबी ने इश्यू प्रक्रिया से उपजे हुए निवेशकों के विवादों को निपटाने के लिए एक कार्यपद्धति निश्चित कर रखी है।

सेबी ने ८ जून, २०११ को एक वेब आधारित केंद्रीयकृत शिकायत निपटान प्रणाली शुरू की है, जिसे स्कोर्स (सेबी कंप्लेंट्स रिड्रेस सिस्टम) (http://scores.gov.in) कहते हैं। इस नयी प्रणाली में किसी भी शिकायत की उसके दाखिल करने से लेकर सेबी द्वारा उस शिकायत को बंद करने तक की संपूर्ण जानकारी ऑनलाइन दर्शायी जाती है तथा प्रत्येक शिकायत की ताजा

स्थिति किसी भी समय इस वेबसाइट पर देखी जा सकती है। जो निवेशक स्कोर्स से परिचित नहीं है या जिसकी पहुंच स्कोर्स तक नहीं है, वे अपनी शिकायतें भौतिक स्वरूप में दाखिल कर सकते हैं। ऐसी शिकायतें स्कैन करने के बाद स्कोर्स पर आगे की कार्रवाई के लिए अपलोड कर दी जाती हैं। उपरोक्त पद्धति के अनुवर्ती सभी प्राप्त शिकायतों को इलेक्ट्रानिक स्वरूप में रखा जाता है तथा इसकी संपूर्ण जानकारी ऑनलाइन उपलब्ध रहती है।

निवेशक अपने सवाल सेबी को asksebi@sebi.gov.in लिख/कॉल/मेल कर सकते हैं तथा उनके सवालों के जवाब दिये जाते हैं।

संपूर्ण भारत के निवेशकों के लिए एक टोल फ्री हेल्पलाइन नं. १८०० २२ ७५७५/१८०० २६६ ७५७५ उपलब्ध है, जिसमें अंग्रेजी, हिंदी, मराठी, गुजराती, तमिल, बंगाली, मल्यालम, तेलुगु, उर्दू, उड़िया, पंजाबी, कन्नड, आसामी और कश्मीरी इन १४ भाषाओं में सेवा मौजूद है। टोल फ्री हेल्पलाइन सर्विस सभी कार्यदिवसों को (घोषित छुट्टी के अतिरिक्त) प्रात: ९.३० बजे से शाम ५.३० जे तक उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त सेबी ने बैंगलौर, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, गुवाहाटी, हैदराबाद, इंदौर, जयपुर, कोची, लखनऊ और पटना में सर्विस उपलब्ध कराने के लिए स्थानीय कार्यालय खोले हैं।

आप वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग, कैपिटल मार्केट डिविजन को भी अपनी शिकायतों/सुझावों के लिए संपर्क कर सकते हैं।

आरजीईएसएस के तहत लॉक-इन शर्तें और प्रतिभूतियों का मूल्यांकन

४०. आरजीईएसएस के तहत किये जानेवाले प्रारंभिक निवेश का कर लाभ लेने के लिए मूल्यांकन किस आधार पर किया जाता है?

आरजीईएसएस के तहत कर लाभ लेने के लिए ५०,००० रु. तक के प्रारंभिक निवेश का मूल्यांकन पात्र प्रतिभूतियों के अधिग्रहण की लागत पर किया जाता है। इसका अर्थ यह है कि इसमें से दलाली, सिक्युरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स, स्टैंप ड्यूटी, सर्विस टैक्स और सभी करों को शामिल नहीं किया जाता है, जो स्टॉक ब्रोकर द्वारा जारी किये गये कांट्रैक्ट नोट में दर्शाये गये हों। अधिग्रहण की लागत (या जिस भाव पर विनिर्दिष्ट मात्रा में खरीदारी की गयी हो) को प्रारंभिक निवेश माना जाता है, जो कि स्टॉक एक्सचेंज से डिपोजिटरीज द्वारा सीधे सौदा करके ली गयी हों। आप डिपोजिटरी द्वारा दिये गये विवरण ' आरजीईएसएस के तहत प्रारांभिक निवेश' से इसका मिलान ब्रोकर द्वारा उपलब्ध कराये गये कांट्रैक्ट नोट में दी गयी सूचना का उपयोग करके कर सकते हैं।

४१. आरजीईएसएस के तहत किये गये निवेश के लिए होल्डिंग अवधि क्या होती है?

आरजीईएसएस के तहत किये गये निवेश की होल्डिंग अवधि तीन वर्ष होती है, जिसमें एक वर्ष का 'फिक्स्ड लॉक इन' और दो वर्षों का 'फ्लेक्सिबल लॉक इन' होता है।

उदाहरण

यदि आपने आरजीईएसएस प्रमाणित डीमैट खाते में ३१ दिसंबर, २०२१ को ५०,००० रु. की पात्र प्रतिभूतियां खरीदी हैं, तो यह पात्र प्रतिभूतियां ३० दिसंबर, २०१३ तक फिक्स्ड लॉक इन में और ३० दिसंबर, २०१५ तक फ्लेक्सिबल लॉक इन में रहेंगी।

यदि आप आरजीईएसएस के तहत अपने निवेश को तीन वर्षों के भीतर बेचना चाहते हैं, तो ऐसा आप फिक्स्ड लॉक इन के एक वर्ष की अवधि के पूरा होने पर ही कर सकते हैं, जो कि निश्चित शर्तों के अधीन है। यदि निवेश एक साथ या किश्तों में किया गया हो, तो लॉक इन समय का ग्राफ नीचे दर्शाया गया है।

यदि निवेश एक साथ किया गया हो, तो आरजीईएसएस लॉक इन अवधि इस प्रकार है

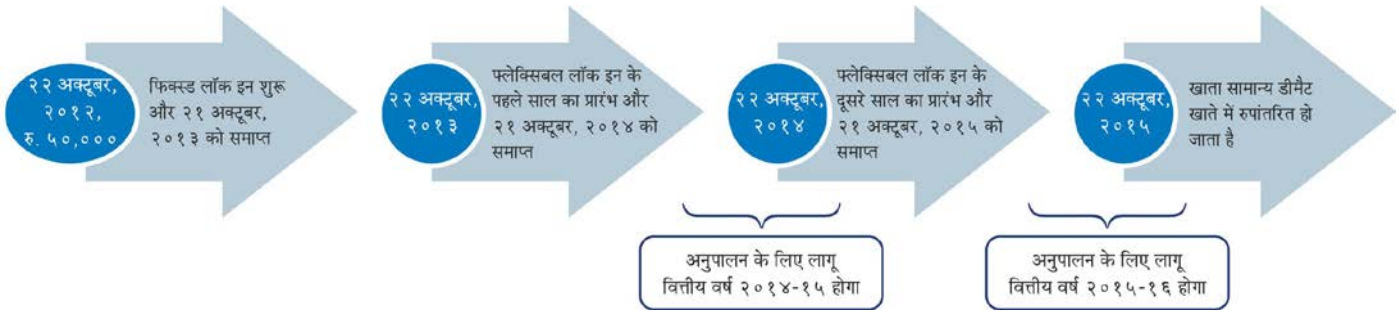

यदि निवेश किश्तों में किया गया हो, तो आरजीईएसएस लॉक इन अवधि इस प्रकार है

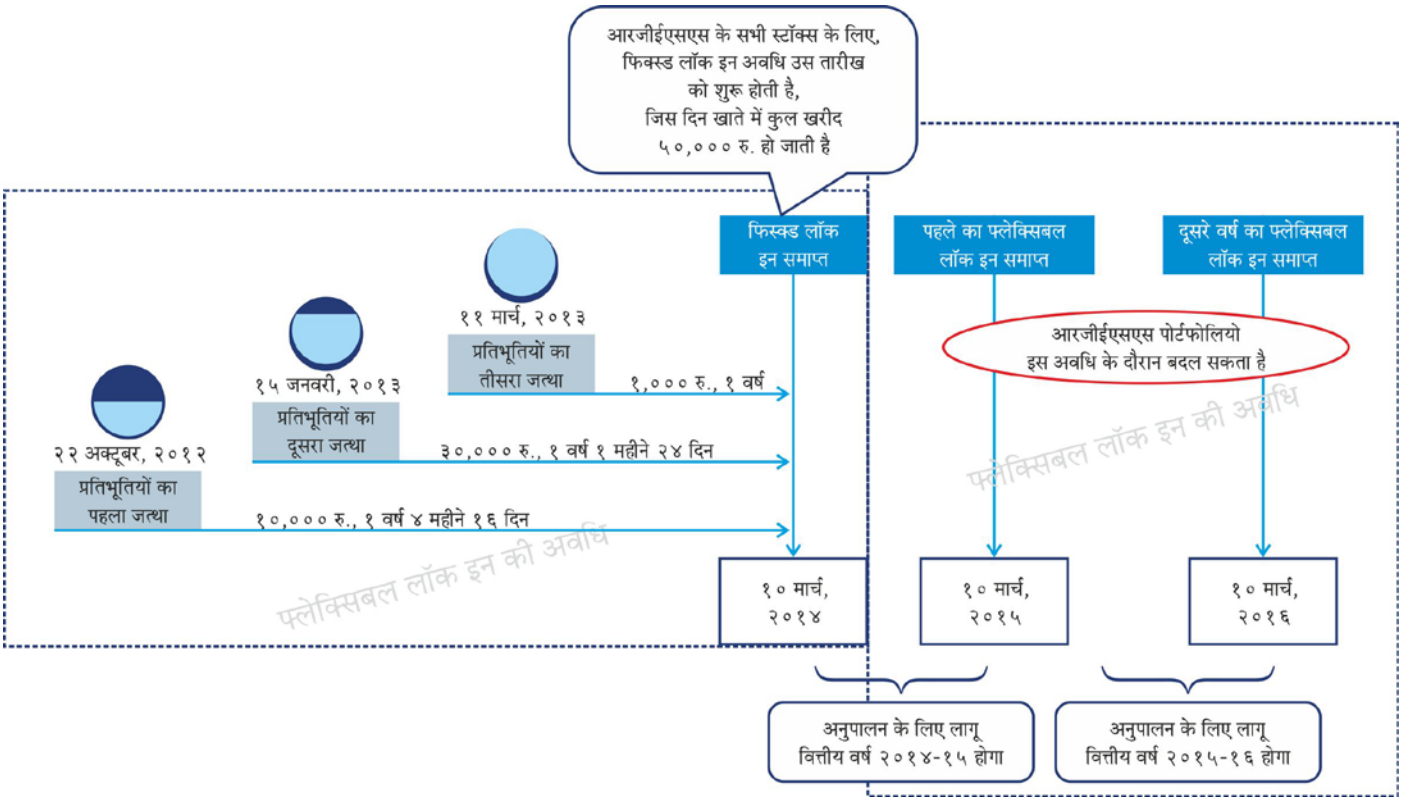

४२. 'फिक्स्ड लॉक इन' अवधि क्या है?

'फिक्स्ड लॉक इन' अवधि संबंधित वित्तीय वर्ष के दौरान पात्र प्रतिभूतियों के पहले जत्थे की खरीद से शुरू होती है और पात्र प्रतिभूतियों के (उसी वित्त वर्ष के दौरान) अंतिम जत्थे की खरीद की तारीख से एक वर्ष बाद समाप्त होती है। निवेशकों को इस अवधि के दौरान प्रतिभूतियां बेचने/गिरवी रखने की अनुमति नहीं है।

उदाहरण

यदि आपने आरजीईएसएस समर्थित डीमैट खाते में २५ दिसंबर, २०१२ को पात्र प्रतिभूतियों के पहले जत्थे में २०,००० रु. की प्रतिभूतियां और ३१ दिसंबर, २०१२ को २०,००० रु. की दूसरे जत्थे में खरीदारी की है, तो पात्र प्रतिभूतियों के दोनों जत्थों का लॉक इन अवधि २५ दिसंबर, २०१२ को लागू होगा और ३० दिसंबर, २०१३ को समाप्त होगा।

४३. लॉक इन अवधि कब शुरू होती है? खरीद की तारीख से या जिस तारीख को प्रतिभूतियां डीमैट खाते में जमा होती हैं उस तारीख से?

चूंकि खरीद की तारीख और डीमैट खाते में प्रतिभूतियों के क्रेडिट होने की तारीख में अंतर हो सकता है, इसलिये फिक्स्ड लॉक इन अवधि संबंधित वित्त वर्ष के दौरान डीमैट खाते में प्रतिभूतियां जमा होने की तारीख से शुरू होती हैं और यह उसी वित्त वर्ष के दौरान पात्र प्रतिभूतियों के अंतिम जत्थे के जमा होने की तारीख के एक साल बाद समाप्त होती है।

४४. आरजीईएसएस के तहत यदि फिस्क्ड लॉक इन की अवधि सिर्फ प्रतिभूतियों की प्राप्ति के अंतिम दिन से गिनी जाती है, तो क्या लॉक इन की अवधि तीन साल से अधिक की नहीं हो जाती?

हां, यदि निवेश किश्तों में किया गया है, तो निवेश की पहली किश्त की लॉक इन अवधि एक साल से अधिक होती है। चूंकि निवेशकों को प्रत्येक फ्लेक्सिबल लॉक इन अवधि में लगभग ९० दिनों के लिए लचीलेपन (नो लॉक इन) की सुविधा दी गयी है। अत: चुनिंदा प्रतिभूतियों के लिए पहले वर्ष में अतिरिक्त लॉक इन अवधि को ध्यान में रखा जाता है।

४५. क्या मैं आरजीईएसएस के लिए घोषित पात्र प्रतिभूतियों को फिक्स्ड लॉक इन अवधि में बेच/गिरवी रख सकता हूं?

नहीं, आपको फिक्स्ड लॉक इन अवधि के दौरान पात्र प्रतिभूतियों को बेचने या गिरवी रखने की अनुमति नहीं है।

४६. फ्लेक्सिबल लॉक इन अवधि क्या है?

दो वर्षों की वह अवधि जो फिक्स्ड लॉक इन अवधि के समाप्त होने के तुरंत बाद शुरू होती है, उसे फ्लेक्सिबल लॉक इन अवधि कहा जाता है।

४७. क्या मैं फ्लेक्सिबल लॉक इन अवधि के दौरान सौदे/बिक्री कर सकता हूं?

फ्लेक्सिबल लॉक इन अवधि के दौरान आप पात्र प्रतिभूतियों के सौदे (खरीद/बिक्री) कर सकते हैं और आरजीईएसएस के तहत कर लाभ का दावा कर सकते हैं, बशर्ते कि आपके आरजीईएसएस डीमैट एकाउंट में इन दो वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष प्रतिभूतियां कम से कम २७० दिनों तक बनी रहें। इसका अर्थ यह हुआ कि आपको वर्ष के दौरान अपने पोर्टफोलियो को संवारने के लिए एक तिमाही का समय मिलता है।

४८. फ्लेक्सिबल लॉक इन अवधि के दौरान प्रतिभूतियों का मूल्यांकन कैसे किया जाता है?

इस स्कीम के तहत अनुपालन के लिए आरजीईएसएस पोर्टफोलियो से फ्लेक्सिबल लॉक इन अवधि के दौरान कोई भी बिक्री करने पर बकाया प्रतिभूतियां सौदे की (यह इस बात को दर्शाता है कि किसी निवेशक के डीमैट खाते में किसी भी कारोबारी दिन

कारोबारी समय के दौरान मूल्य) तारीख से पिछले दिन के बंद भाव पर आंकी जाती है। सौदे की तारीख डिपोजिटरियों द्वारा सीधे स्टॉक एक्सचेंज से ले ली जाती है।

पहले वित्त वर्ष के दौरान फिस्क्ड लॉक इन अवधि के तहत बकाया प्रतिभूतियां इसके मूल्यांकन की तिथि को 'पात्र प्रतिभूतियों' के दर्जे को ध्यान में रखे बिना माना जायेगा। (इसका अर्थ यह है कि सिक्युरिटी सीएनएक्स निफ्टी या बीएसई १०० की सूची से बाहर हो जाये, तो भी वह फिस्क्ड लॉक इन का हिस्सा रहती है और उसे खाते में बनाये रखा जाये तो उसे आरजीईएसएस पोर्टफोलियो के मूल्यांकन के लिए गणना में लिया जायेगा)

ए. मूल्यांकन की तिथि को पात्र प्रतिभूतियों की सूची में बनी हुई बकाया प्रतिभूतियां, भले ही वह फिक्स्ड लॉक इन के तहत रखी गयी प्रतिभूतियों का एक हिस्सा न हो। ये प्रतिभूतियां निवेशक द्वारा फिस्क्ड लॉक इन अवधि या तद्उपरांत लायी गयी हो सकती हैं।

बी. कार्पोरेट एक्शन के चलते फिस्क्ड लॉक इन अवधि के दौरान यदि कुछ प्रतिभूतियां बोनस/राइट के जरिये प्राप्त होती हैं, तो इसे फिस्क्ड लॉक इन अवधि का पात्र निवेश माना जायेगा, जैसा कि फ्लेक्सिबल लॉक इन अवधि में माना जाता है।

४९. क्या डिपोजिटरियों द्वारा अपनाये गये सामान्य मूल्यांकन सिद्धांत की तुलना में आरजीईएसएस पात्र प्रतिभूतियों के मूल्यांकन में कोई अंतर है?

हां, आरजीईएसएस के तहत कर लाभ का दावा करने के लिए प्रारंभिक निवेश का मूल्यांकन प्रश्न नं. ४१ में वर्णित है। फ्लेक्सिबल लॉक इन अवधि के दौरान प्रतिभूतियों के मूल्यांकन का मानदंड प्रश्न नं. ४९ में वर्णित है।

डिपोजिटरी सामान्यत: डीमैट खाते में प्रतिभूतियों का मूल्यांकन एक्सचेंज पर प्रतिभूतियों के उस दिन के बंद भाव (सीडीएसएल- बीएसई का बंद भाव लेती है; एनएसडीएल- एनएसई का बंद भाव लेती है) के आधार पर करते हैं। यह बाजार बंद होने के बाद प्रति दिन अपडेट किया जाता है। चूंकि आरजीईएसएस का मूल्यांकन प्रारंभिक निवेश के लिए वास्तविक अधिग्रहण भाव पर किया जाता है और फ्लेक्सिबल लॉक इन अवधि के दौरान पिछले दिन के बंद भाव पर किया जाता है। डिपोजिटरी द्वारा अन्य प्रतिभूतियों के लिए सामान्य मूल्यांकन की तुलना में यही अंतर है।

हालांकि, आरजीईएसएस लाभभोगियों के लिए डिपोजिटरी आरजीईएसएस के तहत प्रारंभिक निवेश का मूल्य और दिन प्रतिदिन के आधार पर निवेशकों के आरजीईएसएस पोर्टफोलियो का मूल्य अलग से दर्शायेंगे।

५०. तीन वर्ष की लॉक इन शर्त को किस प्रकार लागू किया जाता है?

आरजीईएसएस के तहत निवेश की कुल लॉक इन अवधि तीन वर्ष है, जिसमें एक वर्ष की फिस्क्ड लॉक इन अवधि का समावेश है, जो प्रतिभूतियों की अंतिम खरीद के दिन से लागू होती है।

पहले वर्ष के बाद, इक्विटी कल्चर का लक्ष्य प्रमोट करने तथा बाजार की विपरीत गतिविधियों से सुरक्षा प्रदान करने के लिए या विशिष्ट स्टॉक की जोखिम से बचने के लिए तथा निवेशकों को लाभ का अवसर देने के लिए कारोबार करने की अनुमति दी जाती है।

हालांकि निवेशकों को चाहिये कि वे इन दो वर्षों के दौरान अपने निवेश के मूल्य को उतना बनाये रखें, जितना कि उन्होंने आयकर में लाभ प्राप्त करने का दावा किया है या वह स्तर बनाये रखें या बिक्री का सौदा करने से पहले वर्ष के दौरान कम से कम २७० दिनों तक के पोर्टफोलियो का स्तर (जो भी कम हो) बनाये रखे। यह प्रक्रिया नीचे स्पष्ट की गयी है:

ए) आरजीईएसएस के तहत कोई खाता उस समय तक स्कीम के अनुवर्ती माना जायेगा, जब तक कि कोई सौदा (बिक्री) करने के बाद उसके कुल पोर्टफोलियो का मूल्यांकन बिक्री की तारीख को आरजीईएसएस के तहत दावा किये गये कर लाभ की न्यूनतम सीमा से नीचे न हो जबकि स्टॉक्स / युनिट का मूल्यांकन पिछले कारोबारी दिन के बंद भाव पर किया गया हो। इसका अर्थ यह है कि जब तक आपके आरजीईएसएस खाते में पात्र प्रतिभूतियों का मूल्यांकन उस सीमा से अधिक है, जिसके लिए आपने दावा किया है, आप उक्त सीमा से अधिक की प्रतिभूतियां बिना आरजीईएसएस पात्र प्रतिभूतियों की खरीदारी किये बेचने के पात्र हैं। इसके अतिरिक्त यहां तक कि यदि आपकी सभी आरजीईएसएस पात्र प्रतिभूतियों का बाजार मूल्य उस रकम से कम हो जाता हो, जितनी रकम के कर लाभ का दावा आपने किया हो, यदि आपने कोई भी प्रतिभूति नहीं भेजी है तो भी आप स्कीम के तहत पात्र होंगे। यदि आरजीईएसएस की पात्र प्रतिभूतियों में् से बिक्री की गयी हो तभी पात्रता का सवाल खडा होता है। यह बाजार की सामान्य गिरावट से सुरक्षा प्रदान करता है।

बी) फ्लेक्सिबल लॉक इन अवधि के दौरान किसी बिक्री के मामले में जिस रकम का कर लाभ का दावा किया गया हो, उस रकम से आरजीईएसएस पोर्टफोलिया नीचे जाने की स्थिति में यह खाता आरजीईएसएस का उस तारीख से पात्र माना जायेगा, जिस तारीख को आरजीईएसएस पोर्टफोलिया का मूल्य कम से कम उस रकम के बराबर हो जाये, जिसके लिए कि इस खाते से की गयी बिक्री के पहले कर लाभ का दावा किया गया हो। ऐसा आंशिक रूप से या पूर्णत: निम्न मामलों में हो सकता है:

।. बाजार के उतार-चढ़ाव के कारण आरजीईएसएस के बकाया पोर्टफोलियो का मूल्य उसक रकम से कम हो जाता है, जिसके लिए आरजीईएसएस के लाभ का दावा किया गया हो या आरजीईएसएस पोर्टफोलियो का बिक्री के पहले का मूल्य, जो भी कम हो।

।।. निवेशक आरजीईएसएस पात्र सिक्युरिटीज को जमा करता है, ताकि इन प्रतिभूतियों के जमा करने के बाद आरजीईएसएस पोर्टफोलियो का मूल्य उस रकम से कम नहीं होता, जिस रकम का दावा आरजीईएसएस लाभ के लिए किया गया हो, या ऐसी प्रतिभूतियों की बिक्री से पहले आरजीईएसएस पोर्टफोलियो का उस एकाउंट में मूल्य, जो भी कम हो।

।।।. निवेशक आरजीईएसएस पात्र प्रतिभूतियों की खरीदारी करता है, जो कि बेची गयी प्रतिभूतियों के मूल्य से कम न हो; एक निवेशक द्वारा फिर से निवेश की जानेवाली अधिकतम रकम वह है, जितनी रकम की उसने प्रतिभूतियां बेच दी हैं, भले ही बाजार की घट-बढ़ का लाभ उसे न मिला हो।

यदि खाता एक बार उसका पात्र हो जाता है, तो वह बकाया समय में उस समय तक पात्र रहता है, जब तक कि उसने कोई ऐसे सौदे न हुए हों, जिससे पोर्टफोलियो का मूल्य निवेशक द्वारा किये गये कर लाभ के दावे की रकम से कम न हो जाये। विविध परिस्थितियां नीचे स्पष्ट की गयी हैं:-

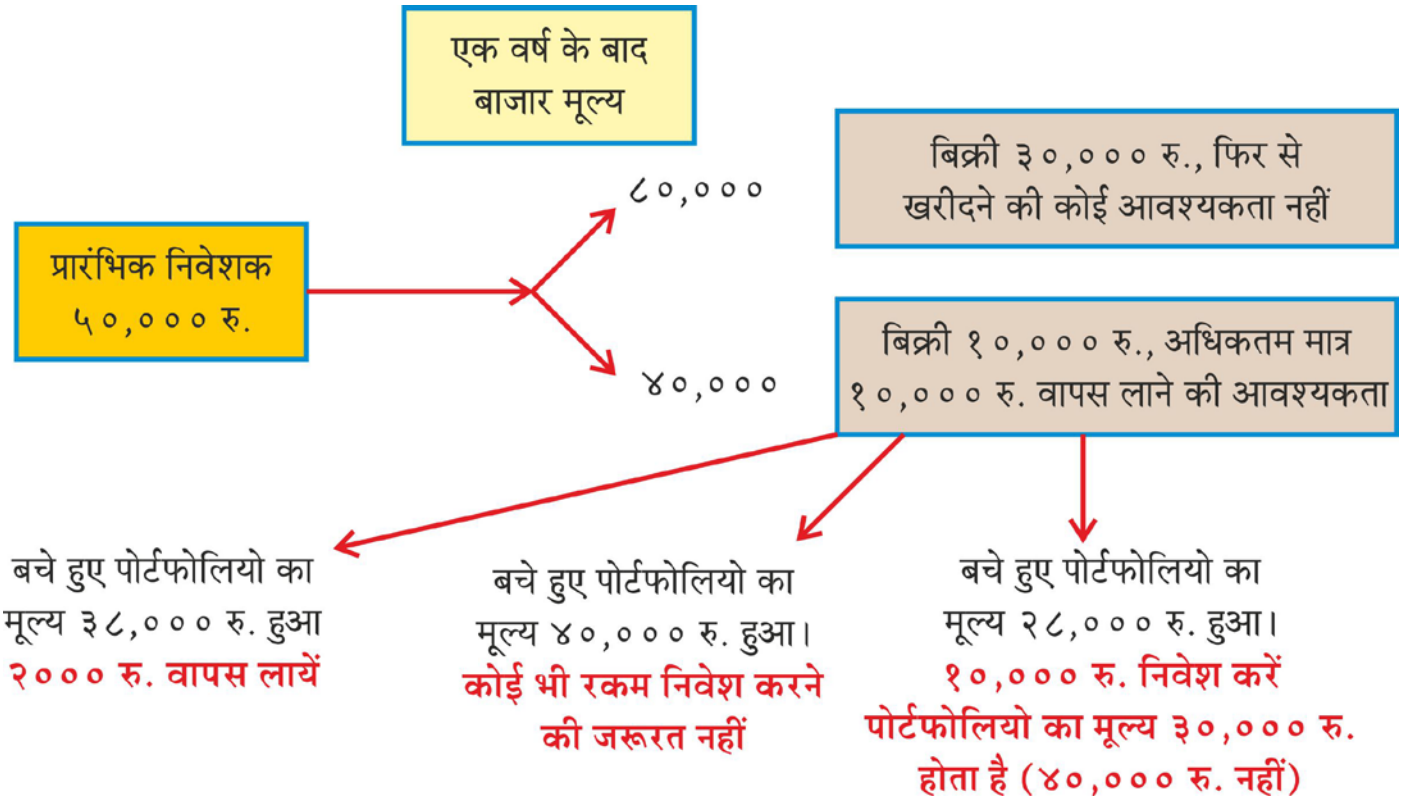

निवेशक को पात्र सिक्युरिटीज फिर से खरीदने की चिंता करनी तभी जरूरी है, जब निवेशक पात्र प्रतिभूतियों, जो कि फिक्स्ड लॉक इन अवधि (बिक्री की तारीख को इसकी पात्र प्रतिभूतियों के दर्जे की परवाह किये बिना) अथवा वे प्रतिभूतियां जो फिस्क्ड लॉक इन अवधि में हैं, परंतु प्रश्न ४९ में बताये अनुसार फ्लेक्सिबल लॉक इन अवधि के दौरान पात्र सिक्युरिटीज में पूंजी निवेश के मूल्यांकन के लिए गणना में लायी गयी सिक्युरिटीज बेचे।

उदाहरण के लिए एक निवेशक ने कंपनी ए के ४०० शेयर में ५०,००० रु. का निवेश किया और आरजीईएसएस के तहत कर लाभ का दावा किया तथा ए कंपनी के २०० अतिरिक्त शेयर भी खरीदे हैं (इसके अतिरिक्त यह खरीदी फिस्क्ड लॉक इन या फ्लेक्सिबल लॉक इन अवधि में की गयी हो सकती है) तो: (ए) फ्लेक्सिबल लॉक इन अवधि में कंपनी ए के २०० शेयर तक किसी भी बिक्री को ऐसा माना जायेगा कि निवेशक ने कंपनी ए के २०० अतिरिक्त शेयर बेचे हैं, न कि फिस्क्ड लॉक इन अवधि में रखे गये ४०० मूल शेयरों में से। अर्थात् निवेशक को यह शेयर फिर से खरीदने की जरूरत नहीं। (बी) इसके बदले,

यदि ऐसे निवेशक ने कंपनी के ३०० शेयर बेचे हैं, तो रकम पहले जितनी करने (जो बाकी बचे हुए पोर्टफोलियो का मूल्य आरजीईएसएस के तहत दावा की गयी रकम से नीचा हो जाये) निरीक्षण के अंतर्गत आयेगा और बिक्री से पहले ए कंपनी के ६०० शेयरों के मूल्य को पूंजी निवेश पोर्टफोलियो का मूल्य माना जायेगा।

यदि आरजीईएसएस पोर्टफोलियो का मूल्य फ्लेक्सिबल लॉक इन अवधि के दौरान पात्र प्रतिभूतियों के बाजार मूल्य में होनेवाली घटत के कारण घटता है और निवेशक उपरोक्त तरीके के अनुसार पात्र प्रतिभूतियों की बिक्री करता है तो डीमैट एकाउंट उस दिन पात्र माना जायेगा, जिस दिन पोर्टफोलियो का मूल्य धारा ८० सीसीजी के तहत कर लाभ की पात्र पूंजी निवेश के समकक्ष हो जाये या ऐसी बिक्री के पहले पोर्टफोलियो ने निवेश का मूल्य, जो भी कम हो, चाहे ऐसी बिक्री के बाद पात्र प्रतिभूतियों की खरीदारी न की गयी हो।

५१. यदि फ्लेक्सिबल लॉक इन अवधि के दौरान मैं पात्र प्रतिभूतियों के सौदे (बिक्री/खरीद) न करूं तो क्या होगा?

ऐसे मामले में जब फ्लेक्सिबल लॉक इन अवधि के दौरान आप पात्र प्रतिभूतियों के सौदे (बिक्री/खरीद) नहीं करते हैं, तो आपका आरजीईएसएस डीमैट खाता निवेश के मूल्य को ध्यान में रखे बिना पात्र बना रहता है।

५२. फ्लेक्सिबल लॉक इन अवधि के अंत में मेरे डीमैट एकाउंट का क्या होगा?

फ्लेक्सिबल लॉक इन अवधि के समाप्त होने पर आपका आरजीईएसएस मनोनित डीमैट खाता नियमित या सामान्य डीमैट खाते में रूपांतरित हो जायेगा और इसमें रखी गयी प्रतिभूतियां स्वतंत्र रूप से हस्तांतरणीय हो जायेंगी।

निगरानी और दंड

५३. क्या मैं योजना के प्रावधानों के अनुरूप आरजीईएसएस पात्र प्रतिभूतियों का मूल्यांकन इसकी पात्रता के उद्देश्य से कर सकता हूं?

नहीं। आपके आरजीईएसएस पोर्टफोलियो की प्रतिभूतियों के मूल्यांकन पर दिन प्रतिदिन और योजना के अनुसार २७० दिनों के लिए डिपोजिटरीज/डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट (डीपी) द्वारा निगरानी रखी जायेगी तथा इस संदर्भ में डीपी से जानकारी हासिल की जा सकती है। हालांकि आप अपने डीमैट खाते की प्रविष्टियों/मूल्य की पुष्टि कर सकते हैं और यदि कोई अंतर दिखायी दे, तो आप तुरंत अपने डीपी को इसकी जानकारी दें।

५४. मैं कर कटौती का दावा कैसे करूं?

आयकर विभाग को आपके डीपी द्वारा नये खुदरा निवेशक का प्रमाणपत्र तथा वार्षिक खाते का विवरण उपलब्ध कराया जाता है। आपको अपने द्वारा दाखिल किये गये आयकर विवरण में इसका उल्लेख करना होता है।

५५. मुझे नया खुदरा निवेशक प्रमाणपत्र और वार्षिक लेखा विवरण कौन प्रदान करेगा?

अन्य डिपोजिटरीयों और एक्सचेंज के साथ आपकी पात्रता की पुष्टि करने के बाद आपका संबंधित डीपी आपको नया खुदरा निवेशक होने का प्रमाणपत्र जारी करता है। यह प्रमाणपत्र आपको डीमैट खाता खोलने के एक महीने के भीतर जारी कर दिया जायेगा। हालांकि इस अवधि को घटाने का प्रयास किया जा रहा है। या तो आप अपने डीपी को नया खुदरा निवेशक प्रमाणपत्र देने का आग्रह कर सकते हैं या आप इसे अपने डीपी द्वारा उपलब्ध करायी गयी वेब सुविधा (इस दिशा में प्रयास जारी हैं) से डाउनलोड कर सकते हैं। आपको वार्षिक लेखा विवरण भी आपके डीपी द्वारा उपलब्ध कराया जाता है, जिसमें आपकी इस योजना के तहत पात्रता दर्शायी गयी होती है।

५६. यदि मैं आरजीईएसएस की शर्तों को भंग करता हूं, तो इसके लिए क्या दंड है?

यदि कर दाता किसी भी गत वर्ष (दो वर्षों की फ्लेक्सिबल लॉक इन अवधि सहित) आरजीईएसएस के तहत वर्णित किसी भी शर्त का अनुपालन करने में विफल हो जाता है, तो मूल रूप से कर में दी गयी राहत उस कर दाता की उस गत वर्ष की आय मान ली जायेगी तथा वह संबंधित कर निर्धारण वर्ष में कर चुकाने का पात्र हो जायेगा।

उदाहरण

यदि कर दाता आरजीईएसएस के दूसरे वर्ष के दौरान (फ्लेक्सिबल लॉक इन अवधि का पहला वर्ष) किसी भी शर्त को पूरा करने में विफल हो जाता है, तो उसे संपूर्ण निवेश (सिर्फ निवेश की कम रकम पर नहीं) पर उस वर्ष के लिए धारा ८०सीसीजी (आरजीईएसएस) के तहत दावा किये गये कर लाभ को चुकाना होगा।

५७. फ्लेक्सिबल लॉक इन अवधि के दौरान आरजीईएसएस पात्र निवेश पर विभिन्न प्रकार के कार्पोरेट एक्शन जैसे कि शेयर विभाजन, समेकन, बोनस, राइट आदि का क्या प्रभाव पड़ेगा?

यदि आरजीईएसएस के निवेश में जहां किसी निवेशक को कोई विकल्प न हो (अस्वैच्छिक) ऐसा कार्पोरेट एक्शन जैसे कि शेयर विभाजन/डीमर्जर आदि से कोई परिवर्तन होता है, तो फ्लेक्सिबल लॉक इन अवधि के दौरान खाते की पात्रता स्थिति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आबंटित किये गये अतिरिक्त शेयरों को विद्यमान आरजीईएसएस प्रतिभूतियों के अनुपात की सीमा तक आरजीईएसएस प्रतिभूतियां माना जायेगा। प्रभावी प्रतिभूतियां लॉक इन (फिक्स्ड/फ्लेक्सिबल) अवधि की उसी श्रेणी की मानी जायेंगी, जैसा कि मूल प्रतिभूतियों को माना गया है।

आरजीईएसएस निवेश में यदि किसी ऐसे कार्पोरेट एक्शन के कारण प्रभाव पड़ता है, जिसमें विकल्पों को मानने का चयन किया जा सकता हो और फ्लेक्सिबल लॉक इन अवधि के दौरान प्रतिभूतियां डेबिट हों तो इसे बिक्री का सौदा माना जायेगा। सेबी ने आरजीईएसएस के तहत कार्पोरेट एक्शन को अधिसूचित किया है, जो कि निवेशक के लिए चयन की उपलब्धता पर निर्भर है। आरजीईएसएस के तहत अनुमति प्राप्त कार्पोरेट एक्शन के लिए सेबी की मार्गदर्शिका देखें।

५८. स्कीम पर किस प्रकार निगरानी रखी जाती है?

डीमैट खाता खोलने के लिए पैन आवश्यक शर्त बनाया गया है। आरजीईएसएस की निगरानी प्रारंभिक तौर पर पैन के विवरण पर आधारित होती है। प्रत्येक ग्राहक को अपने ब्रोकर द्वारा दिये जानेवाले युनिक क्लाइंट कोड (यूसीसी) को उस ग्राहक के परमानेंट एकाउंट नंबर (पैन) के साथ जोड़ा जाता है, इसलिये डिपोजिटरी और एक्सचेंज अपने पास उपलब्ध जानकारी के आधार पर आसानी से इस बात की जांच कर सकता है कि कौन निवेशक नया है। अन्य डिपोजिटरी और स्टॉक एक्सचेंज से इस बात की पुष्टि करने के बाद कि क्या लाभभोगी ने इक्विटी/डेरिवेटिव्स में सौदे किये हैं या नहीं, संबंधित डीपी के जरिये डिपोजिटरी नया खुदरा निवेशक प्रमाणपत्र जारी करेगा। डिपोजिटरी संबंधित डीपी के जरिये आरजीईएसएस पोर्टफोलियो का मूल्य भी उपलब्ध कराता है तथा फ्लेक्सिबल लॉक इन अवधि के दौरान शर्तों का पालन किया गया है या नहीं, इसकी पुष्टि करता है। आरजीईएसएस के तहत पैन धारक अपनी आय का विवरण भरता है जिसे आयकर विभाग अपने इलेक्ट्रानिक डेटाबेस से जांचता है। इसके अतिरिक्त लाभभोगी का विवरण संबंधित डिपोजिटरियों द्वारा वित्त वर्ष के अंत में आयकर विभाग को सौंपा जाता है।

५९. मैं अतिरिक्त जानकारी के लिए किससे सम्पर्क कर सकता हूँ?

बीएसई	**एनएसई**	**सीडीएसएल**
श्री योगेश बमबार्डेकर उप महा प्रबंधक १४वीं मंजिल, पी. जे. टावर्स, दलाल स्ट्रीट, फोर्ट, मुंबई- ४०० ००१ फोन- ९१२२- २२७२८२८६ कार्यालय फैक्स नंबर ९१२२- २२७२१३३८ Email:	श्री युवराज पाटिल प्रबंधक नेशनल स्टाक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लि. एक्सचेंज प्लाजा, प्लाट नं. सी / १, जी ब्लाक, बान्द्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व)	श्री फारोख पटेल सहायक उपाध्यक्ष सेंट्रल डिपाजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लि. १६वीं मंजिल, पी. जे. टावर्स, दलाल स्ट्रीट, फोर्ट, मुंबई- ४०० ००१ फोन- ०२२- २२७२३३३३

yogesh.bambardekar@bseindia.com	मुंबई - ४०० ०५१ फोन- ०२२- २६५९८३८० फैक्स नंबर ०२२- २६५९८३१५ Email: ypatil@nse.co.in	फैक्स नंबर ०२२- २२७२३१९९ Email: rgess.@cdslindia.com
एनएसडीएल श्री एस गणेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष, इंवेस्टर रिलेशनशिप सेल, नेशनल सिक्युरिटीज डिपाजिटरी लि. ट्रेड वर्ल्ड, ए विंग, ४थी मंजिल, कमला मिल्स कम्पाउंड, सेनापति बापट मार्ग, लोअर परेल, मुंबई - ४०० ०१३ बोर्ड टेलीफोन - (०२२) २४९९ ४२०० फैक्स नं. - (०२२) २४९७ ६३५१ Email: relations@nsdl.co.in	**सेबी** श्री विश्वजीत चौधरी, डीजीएम, सिक्युरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी भवन, प्लॉट नं. सी- ४, एएस जी ब्लाक बान्द्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व) मुंबई - ४०० ०५१ फोन- ०२२- २६४४ ९७२५ फैक्स नंबर ०२२- २६४४ ९०३९ / ९०२७ Email: biswajitc@sebi.gov.in	**वित्त मंत्रालय** ज्वांइट सेकेट्री कैपिटल मार्केट डिविजन वित्त मंत्रालय नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली फोन - २३०९ ५२४६ फैक्स - २३०९ ४४१३ Email: rgess.2012@gmail.com
एमसीएक्स-एसएक्स श्री राकेश शाह वाइस प्रेसीडेंट एमसीएक्स स्टॉक एक्सचेंज लि. एक्सचेंज एसक्वायर, पहला माला, सुरेन रोड, चकाला, अंधेरी (पूर्व), मुंबई-400093 फोनः91-22-6731 9000, फैक्सः91-22-6731 9004 ई-मेलः rakesh.shah@mcx-sx.com		